

卷之三

卷之三



ତେବେ ପ୍ରାଚୀନିକ ଖଣ୍ଡବିଜ୍ଞାନରେ

आडोडोडा० पारसर, सीतापुर रोड, लखनऊ २२६०२१

45554 0522-2732193

फैक्स 0522-2732185

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 517

दिनांक 15.05.2015

250

DEPARTMENT OF MANAGEMENT, CORAKHPUR

दिनांक १५. २०१५-१६ की अरबाची सन्वदधता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में।

प्रदूषक तंत्रों के स्वरूप में गुग्गा यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अधिल आरतीय तकनीकी शिक्षा प्राप्तियद्, नई दिल्ली के द्वारा प्रदूषकों के भारात पर विश्वविद्यालय/०१०१ शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा जीव संस्तुतियों के काग में शासनादेश के महाद्य ०३०५/संवाद/ २०१५-१३/५/२०१५- दिनांक १५.०५.२०१५ के जिरी आठशतांशुसार उत्तर प्रदेश प्राथिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की वार्ता ४ अधिनि स०७ कार्यपालिका से अनुमोदित की प्रदर्शन ने सह्यान को जिम्मनांशुसार पाठ्यक्रम पठेश क्षमता के साथ

SEARCH NAME	1ST SHIFT	2ND SHIFT
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	100	0

वैष्णव योजना के अन्तर्गत नियमितिलिख शब्दों के अधीन संस्कृत तार 2015-16 इतु नियमित्यात्मक के द्वारा अखारी सम्बद्धित वी वहाँ त वापर की जाती है।

२८ यारा अडित भारतीय ग्रन्थोंकी विज्ञानिक विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्तिरिट भूमि, क्षेत्र, अवस्थाएँ।
२९ बहुरक्षण हैं जिप्रिट एज-ग्राहनप्रदृष्टप्रथा, धर्मग्रन्थों द्वारा विधीरित उत्करण, फैकटी अनुकूल, ऐंगिन नियायक तथा विश्वविद्यालय
विद्यक गण्डुक द्वारा संरक्षण द्वारा लाभों के दृष्टिकोण से लाभों को पूरी करना प्रतिवार्ह होगा, इन्द्रज्ञानी जी विधि में संरक्षण की वापि
३० बहुरक्षण स्वतं विस्तृत समृद्धि आदि विज्ञान सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वतं उत्तराधिकारव्यवस्था का होगा।

उत्तर प्रदेश राजनीतिक पार्टियों ने द्वारा प्रतिशतक के समयमें यात्रा पर्याप्ति के लिए नियम बनाये हैं। इन नियमों के मुताबिक सुरक्षागत क्षेत्रों तथा शुल्क विभाग आमतः द्वारा नियमित नियमानुसार अनुग्रह प्राप्ति हो पर्याप्ति के लिए उत्तर प्रदेश राजनीतिक पार्टियों द्वारा बाहरी सूचना संस्थाएँ कामयाएँ, जबकि यात्रा के लिए नियमित नियमानुसार अनुग्रह प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा यात्रा पर्याप्ति के लिए नियम बनाये जायेगा।

५. उपर्युक्त प्रेरणादृष्टिका के पद्धति विभिन्न 2010 में पद्धति अव्याप्ति-६ (सम्बद्धता) में औन्तरीयत प्रोत्साहन का प्रभाव उत्तम रूप से दर्शाता है।

‘वरथा ने राज महेश के अन्दर सरथा में लिंदैशकापाय एवं वास्तवा शिक्षकों की सूची तथा चरण में गवाहित वराता ग्रन्थियों विवरणित गया है।

विद्युत के विकास का एक महत्वान्वित कारण महालक्ष्मीदेवी के अन्दर अत्यधि धन्यवाच कर लिये जाएँ, जिसकी सूचना भवयन्त्रित्यात्म को ग्रहण

१०८ अनुवाद: ५१३

जैविक एवं रियोरियल स्टाफ द्वारा सेस्टा हैडेन की ट्रायल में 15 दिन (कल्याण द्वितीय) के अन्दर विश्वावेदग्रन्थ की अवधारणा सुनी गई करा। (भा.पा. 6.13-15) इसीके एवं रियोरियल स्टाफ के वैतन का आहुरण लियागित रूप से किया जायेगा, अवधारणा की विधिति में विश्वावेदग्रन्थ द्वारा लियागाया गया वैतन की उल्लेख है। (अध्याय: 6.25)

१३ रुद्र उनके उपरकणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सचिव पट, वैवराइट पर पदार्थीत होने चाहिए एवं इसकी सुधाराएं विभागितयात्रा का अधिकार सहित लायें। (आद्यात.६।१३)

१२. संसद की अमरत सूचनाएँ सत्ता के सूचना पट, बोरोड घर पर पढ़ारीत होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएँ विश्वविद्यालय को भी अवश्य मुहिमत दिया जाए।

१३. चमन द्वारा क्षाको से लिये गये शूलक की सुधाना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर उत्तर संस्था के सचिव पड़ पर अवश्य भएगा कि आपको उपर्युक्त

३८२ विरोधियालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विस्तृप्त यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाएगा।

Digitized by srujanika@gmail.com

^५ अशोक ने दर्शी गयी कमियों का सांख्यिक विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरिक्षण करनी गई गिया जा सकता है।

६. उत्त्य का शैक्षिक सब के अन्तर्गत फिर्सी भी सामय आकर्षिक विशेषज्ञान विशेषज्ञान द्वारा किया जा सकता है और उक्त आकर्षिक विशेषज्ञान के सापेक्ष कठिनों के इस्तिरेक रूपरूप रूपरूप समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

उत्तर संस्थाओं की अभावशिप एवं दिव्यविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अधिकारी विश्वविद्यालय स्तर से बोहुं जिरीक्षण अवलोकन करता है अत्यवा कोई लंगिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदार्थजाही के अधीन होगी।

१८. उच्च द्वारा प्रवेश में उत्तर पटेंस शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसृपित जातियों, अनुज जनजातियों और अन्य पिछड़े तर्गत के लिए जारी)।
प्राचीनदम, 2006 पिरद्वारा द्वारा निर्धारित प्रवेश भानको एवं अनुसृपित जाति/जनजाति के ठाँड़ों से राज्य शरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार की।

३ अतएव यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशी/अध्ययनरत छारों द्वारा शुल्क वस्त्री लिये जाएं जो सामय-समय पर फीस जिप्राइट होनी चाही तो उसे भर्ता लिये जाएं ताकि वे अपने दोनों दिव्यांग बच्चों की विध्वंसा न करें।

निम्न टाइप एंट्रीरेट का गड़हा हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/जोगेशन लेने का शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा रोकथा की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संघर्ष की Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

21. IAS (Academic Monitoring System) संबंध में उत्तरवाद्यालय द्वारा जारी पारपर संदर्भ: 30 प्र० ०१०५०/कुर०० का ०/२०१४/१४-२१, दिनांक ११.०८.२०१४ के अनुसारन् सुनिश्चित कराने की वाद्यता होगी।

22. डिक्टीटाइप द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों के तैयारी कार्यालयों और विभिन्न विभागों का प्राप्ति ग्रन्थ का

गान्धीय,

(कौ, कौ, यापरी)

साक्ष भद्रा ए १२. लि. उपरोक्त

विश्व विद्यालय का सदस्य एवं अक्षरक पाठ्यपाठी है तथा श्रेष्ठतः

सामुदायिक रूप संविचारों के तत्त्वपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, सखिना।

— दिल्ली राज्य विधान सभा ।३५वाँ, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

जैसा कहा गया है, यह एक अत्यधिक संवेदनशील विद्युती है।

卷之三

卷之三

(कै. कै. शौपडी)
कुलसाविय